

राजस्थान-सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स.3-2(11)स्थ/अभि./17/16144-48

दिनांक 23-11-17

-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने अपने पत्रांक एफ.7(25)भर्ती 'क' / APO NON TSP/2013-14/379 दिनांक 19.06.2017 एवं 384 दिनांक 20.06.2017 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी (NON TSP) आरक्षित सूची के 33 पदों पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावना इस विभाग को भिजवाई गई थी।

उक्त पत्रों की अनुपालना में विभाग द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित नव चयनित अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज विभाग में जमा कराने हेतु दिनांक 29.06.2017 एवं 04.07.2017 तक अपेक्षित दस्तावेज जमा कराने व व्यक्तिगत होने पर विभाग द्वारा पात्रता निरस्त किये जाने के संबंध में सूचित किया गया। परन्तु इनके द्वारा अपेक्षित दस्तावेज कार्यालय में पेश नहीं किये हैं/ नियुक्ति लेने के लिये मना किया है।

गैर अनुसूचित क्षेत्र

क्र.स.	नाम अभ्यर्थी	मेरिट सं.
01	निशान्त गौड	आर-10
02	दिशा फौजदार	आर-23
03	कमला कुमारी बुनकर	आर-119

अतः उक्त अभ्यर्थियों की अभियोजन विभाग में नियुक्ति की दावेदारी सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, गृहमंत्री महोदय, राजस्थान।
- 2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
- 4- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह(ग्रुप-10) विभाग।
- 5- निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राज. जयपुर।
- 6- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर